



GURU GHASIDAS VISHWAVIDYALAYA

(A Central University Established by the Central Universities Act, 2009 No.25 of 2009)

Professor S.P. Singh
Vice-Chancellor

Post : Koni, Bilaspur (C.G.), 495009, INDIA
E-Mail : drsp Singh1@rediffmail.com, vcpaggu@yahoo.com
Ph : +91-07752-260283; Fax : 07752-260148

क्रमांक / कु०प० / पी०एस० / 68 / 2014

दिनांक - 24.11.2014

आदेश

आदेश क्रमांक 608 / स्था० / प्रशा० / 2013 दिनांक 31.05.2013 को अतिक्रमित करते हुए प्रो० आई०डी० तिवारी को मूल विभाग-अंग्रेजी को वापस किया जाता है। तत्पश्चात प्रो० तिवारी, कुलसचिव (कार्यवाहक) के प्रभार से भारमुक्त हो जावेंगे।

श्री एच०एन० चौबे (उप-कुलसचिव), गुरु घासीदास विश्वविद्यालय ने माननीय उच्च न्यायालय, छत्तीसगढ़ के निर्णय के परिप्रेक्ष्य में अपनी उपस्थिति दिनांक 23.04.2014 को गुरु घासीदास विश्वविद्यालय में प्रस्तुत की है। श्री एच०एन० चौबे (उप-कुलसचिव), को कुलसचिव (कार्यवाहक) का कार्य आगामी आदेश तक आवंटित करता हूँ। श्री चौबे तत्काल प्रभाव से अपने दायित्वों का निर्वहन करें।

(प्रो० एस०पी० सिंह)
कुलपति,

पृ०क्र० / कु०प० / पी०एस० / 69 / 2014

दिनांक - 24.11.2014

प्रतिलिपि :-

1. कुलपति / कुलसचिव के सचिव, निज सहायक की ओर सचनार्थ।
2. प्रो० आई०डी० तिवारी, प्रोफेसर, अंग्रेजी विभाग को सूचनार्थ।
3. श्री एच०एन० चौबे, उप-कुलसचिव, गुरु घासीदास विश्वविद्यालय बिलासपुर को सूचनार्थ एवं पालनार्थ।
4. उप-कुलसचिव (प्रशासन) गुरु घासीदास विश्वविद्यालय बिलासपुर की ओर सूचनार्थ।
5. समस्त संकायाध्यक्ष, गुरु घासीदास विश्वविद्यालय बिलासपुर की ओर सूचनार्थ।
6. समस्त विभागाध्यक्ष, गुरु घासीदास विश्वविद्यालय बिलासपुर की ओर सूचनार्थ।
7. वित्ताधिकारी, ~~कुलपति / कुलसचिव के सचिव, निज सहायक~~ की ओर सचनार्थ।
8. समस्त विभागीय अधिकारी, गुरु घासीदास विश्वविद्यालय बिलासपुर सचनार्थ।
9. विधि प्रकोष्ठ, गुरु घासीदास विश्वविद्यालय बिलासपुर की ओर सूचनार्थ।
10. कार्यालय प्रति।

S.P. Singh
24/11/14

(प्रो० एस०पी० सिंह)
कुलपति, 24/11/14